

(राजनैतिक दलों द्वारा समाचार पत्र , दल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने हेतु)

अभ्यर्थी के रूप में चयनित किए गए लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों से संबंधित सूचना और ऐसे चयन के कारण तथा बिना आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चुना गया, से संबंधित विवरण

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं 536 में वर्ष 2018 की अवमानना याचिका (सिविल) सं 2192 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.02.2020 के आदेश के अनुसरण में जारी आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम :- राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी

निर्वाचन का नाम :- राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023

राज्य/सं.रा. क्षेत्र का नाम :- राजस्थान

(1) निर्वाचन क्षेत्र का नाम :- पचपदरा (137)

अभ्यर्थी का नाम :- श्री थानसिंह


क्र.सं.		
1	आपराधिक पूर्ववृत्त	
	क.	अपराधी की प्रकृति
	ख.	मामला संख्या
	ग.	न्यायालय का नाम
	घ.	क्या आरोप विरचित कर दिए गए हैं या नहीं (हाँ / नहीं)
	ङ.	दोषसिद्धि की तिथि , यदि कोई हो
	घ.	भुगती गई सजा का विवरण , यदि कोई हो
2.	अभ्यर्थी के चयन का कारण। चयन, अभ्यर्थी की योग्यता, उपलब्धि और उसकी मेरिट को देखते हुए किया जाएगा न कि सिर्फ मतदान में 'विजय प्राप्त करने की क्षमता'। (100 शब्द से अधिक न हो)	
3.	यह कारण बताएं कि बिना आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप क्यों नहीं चुना गया। (100 शब्द से अधिक न हो)	

(2) निर्वाचन क्षेत्र का नाम :- पचपदरा (137)

अभ्यर्थी का नाम :- श्री थानसिंह

इत्यादि ।

*राज्य सभा या विधान सभा सदस्यों (एमएलए) द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें ।


 राजनैतिक दल के पदाधिकारी के हस्ताक्षर
 नाम और पदनाम
 नेमसिंह (संचिव)